# विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की प्रथम बैठक का कार्यवाही विवरण

(दिनांक 8 अप्रेल, 2011)

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की प्रथम बैठक का आयोजन दिनांक 8 अप्रेल 2011 को पशु प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग के कान्फ्रेंस हॉल मे माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) ए.के.गहलोत की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यो की सूची परिशिष्ट ''अ'' में सलग्न है। बैठक के आरम्भ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यो का परिचय करवाया। विश्वविद्यालय की ओर से रजिस्ट्रार श्री एस.एस.पंवार ने सभी सदस्यो का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की विधिवत कार्यवाही कार्यसूची के अनुरूप प्रारम्भ की गई।

एजेण्डा– 01/ए : कुलपति महोदय द्वारा बैठक में भाग लेने वाले सभी आगंतुकों का स्वागत, विश्वविद्यालय ढाँचे एवं गतिविधियों का परिचय

अध्यक्ष महोदय ने विश्वविद्यालय में अर्न्तनिहित सभी ईकाईयों के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होने मई 2010 मे विश्वविद्यालय के गठन के पश्चात अब तक सगंठनात्मक ढांचे मे नव सृजित ईकाईयो से सभी सदस्यो को अवगत करवाया, जिससे विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली विशेष रूप से शिक्षण एवं अनुंसधान गतिविधियों के सूचारू रूप से संचालन में विश्वविद्यालय सक्षम रहा।

अध्यक्ष महोदय ने विश्वविद्यालय की स्थापना को एक प्रगतिशील कदम बताते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री हरजीराम बुरडक को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य की अर्थ व्यवस्था में पशुपालन का बहुत अधिक महत्व है। यह ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार है, क्योकिं राज्य के लगभग 65 लाख परिवार पशु पालन से आय प्राप्त करते है। राज्य की सकल घरेलू आय में पशु पालन का योगदान अक्सर समग्र कृषि से होने वाली सकल घरेलू आय के आधे से भी अधिक होता है। राज्य के प्रथम पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ इस महत्पवूर्ण क्षैत्र में शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार के नये आयाम प्रदान किये जा सकते है। उन्होनें सदन को अवगत कराया कि पिछले वित्तिय वर्ष की आखिरी छः माही में इस विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा लगभग 10 करोड रू0 की राशि राज्य आयोजना मद में तथा इतनी ही राशि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना में उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का भी धन्यवाद किया जिसने 1 करोड़ 65 लाख की राशि शिक्षा सृद्धढ़ीकरण हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवाई।

2

विश्वविद्यालय पिछले वित्तिय वर्ष में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से भी भेड़ एवं ऊन विकास के लिये दो बड़ी परियोजनायें स्वीकृत करवाने में सक्षम रहा, जिनके पेटे 2 करोड़ 32 लाख की राशि विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में स्वीकृत परियोजनाओं की राशि इस विश्वविद्यालय को सीधे ही हस्तांतरित हो सके इस हेतु उक्त परियोजना में इस विश्वविद्यालय को स्वीकृत बजट हेतु भी पृथक हेड सृजित कर दिया है, जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष में बजट अनुमानित राशि 11 करोड़ स्वीकृत हो चुकी है। इसी प्रकार राज्य आयोजना मद में भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में राशि रू. 23 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत कर दिया गया है।

विश्वविद्यालय के 'पेपर लेस ऑफिस' की अवधारणा की ओर अग्रसर होते हुए ई–गर्वमेंस को लागू कर रहा है। इस हेतु पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 40 लाख की विशेष ग्रांट भी स्वीकृत की है जिससे विश्वविद्यालय मानव संसाधन, पे–रोल, पेंशन, पी.एफ, प्लेसमेंट एक्टीविटी तथा कुलपति, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक आदि के कार्यालयों के कार्यो का कम्प्यूटीकरण करना एवं ई–गर्वनेंस द्वारा सम्पादित कराने में सक्षम हो सकेगा। विश्वविद्यालय ने 1 जी.बी. पी.एस.इंटरनेट लीज लाईन का कनेक्शन लेते हुये इंटरनेट सुविधा को सभी विभागों, कार्यालयों ,वैज्ञानिकों इकाईयों एवं छात्र–छात्राओं के हॉस्टल में भी नेटवर्क द्वारा पहुंचाया। पशुपालकों , पशु चिकित्सकों एव विद्यार्थियों को सीधी जानकारी पहुंचाने हेतु तोल फ्री हेल्प लाईन का कनेक्शन लिया जा चुका है तथा प्रशासनिक योजना बनाई जा रही है। विश्वविद्यालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की सिफारिशों एवं राजस्थान सरकार के आदेशानुसार छठे वेतन आयोग के अंतर्गत दियें गये प्रावधानों के अनुरूप 30 सहायक प्राचार्य सेलेक्शन ग्रेड को सह–प्राचार्य के रूप में री–डेजिगनेशन प्रदान कर दिया। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की स्वीकृति अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष से इंटरशिप एवं स्नात्तकोत्तर मानदेय भत्ते में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में विश्वविद्यालय चार नई परियोजनायें स्वीकृत करवाने में सक्षम रहा है। इसी के साथ दो पशुपालन डिप्लोमा संस्थान जयपुर एवं वल्लभनगर में प्रारंभ कर दिये गये है। डूंगरपुर में निजी क्षेत्र में वेटरनरी महाविद्यालय प्रारंभ कर दिया गया है। जोधपुर में नए संघटक वेटरनरी महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति राज्य सरकार ने प्रदान कर दी है तथा भूमि आवंटन का कार्य प्रक्रियाधीन है। जयपुर स्थित अनुसंधान केन्द्र को स्नात्तकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र में परिवर्तन कर तीन विषयों में स्नात्तकोत्तर शिक्षा प्रारंभ कर  दी है। इस प्रकार यह विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति की पथ पर अग्रसर होते हुये राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 3000 प्रोफेशनल डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी पशु चिकित्सक एवं पशु वैज्ञानिक उपलब्ध करवा रहा है। यह इनटेक केपेसिटी बीकानेर तथा उदयपुर

कृषि विश्वविद्यालय के इनटेक केपेसिटी से बहुत अधिक है। हमें आशा है कि राज्य सरकार के निरंतर सहयोग से शीघ्र ही यह विश्वविद्यालय देश के नामचीन विश्वविद्यालयों में शामिल होगा।

निर्णय – सभी सदस्यो ने विश्वविद्यालय की क्रियाशीलता पर सन्तोष प्रकट किया।

एजेण्डा– **01/बी : वार्षिक प्रतिवेदन (जुलाई से जून, 2010) की पटल पर प्रस्तुति**

निर्णय– जुलाई 2009 से जून 2010 की अवधि की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई। इस सम्बध में अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय का गठन मई 2010 मे होने के कारण उपरोक्त अवधि की वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने की आवश्यकता थी। अतः विश्वविद्यालय मे समाहित वर्तमान ईकाईयों की उक्त अवधि की प्रगति को इस वार्षिक प्रतिवेदन मे सम्मलित कर दिया गया है। राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा देश के अनेक कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई जा रही परम्परा के अनुसार भविष्य मे वार्षिक प्रतिवेदन की अवधि को अप्रेल से मार्च तक रखा जायेगा। जिसे सदन द्वारा भी अनुमोदित कर दिया गया।

एजेण्डा– **01/सी : विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन**

निर्णय – विश्वविद्यालय द्वारा अब तक पारित आदेशो को सदन द्वारा अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा– **01/डी : एज्यूकेशन डिवीजन, आई.सी.ए.आर. द्वारा जारी न्यू एण्ड रिस्ट्रक्चर्ड पी.जी. करिकुला एण्ड सलैबाई को इस विश्वविद्यालय में पी.जी. कार्यक्रम में लागू करने का अनुमोदन**

अध्यक्ष महोदय ने बताया की आई.सी.ए.आर द्वारा जारी इस केरीकूला एवं सेलेबाई के विश्वविद्यालय द्वारा अपनाये जाने के फलस्वरूप स्नातकोत्तर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, तथा विश्वविद्यालय द्वारा इस राष्ट्रीय केरीकूला एवं सेलेबाई के आधार पर स्नातकोत्तर शिक्षा दिये जाने से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियो को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओ, इन्टरव्यू तथा रोजगार के अवसरो मे गुणात्मक लाभ मिल सकेगा। इसे लागू करने वाले अग्रणी विश्वविद्यालय की सूची मे यह विश्वविद्यालय भी जुड गया है।

निर्णय – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जारी न्यू एण्ड रिस्ट्रक्वर्ड पी.जी करिकूला एण्ड सलेबाई को इस विश्वविद्यालय मे पी.जी कार्यकमो यथा स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी मे लागू करने का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा– **01/ई : आई.सी.ए.आर. द्वारा जारी "रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन**

पार्टनरशिप, रिसोर्स जेनरेशन ट्रेनिंग, कन्सलटेन्सी, कॉन्ट्रेक्ट रिसर्च/कॉन्ट्रेक्ट सर्विसेज एण्ड इन्सेन्टिव एण्ड रिवार्ड सिस्टम" को विश्वविद्यालय में लागू करने का अनुमोदन

अध्यक्ष महोदय ने बताया की विश्वद्यिालय मे इस प्रकार के प्रावधान पूर्व में नही होने से विश्वविद्यालय के वैज्ञानिको को कॉन्ट्रेक्ट, रिसर्च पार्टनरशिप, आदि पर आधारित परियोजनाओ को संचालित करने मे कठिनाईया आती थी। इस रिपोर्ट के लागू होने के बाद विश्वविद्यालय इन कार्यो की नियमानुसार स्वीकृति देते हुए रिसोर्स जनरेसन भी कर सकेगा, तथा ऐसे वैज्ञानिको के लिए इन्सेटिव एवं रिवार्ड सिस्टम भी स्थापित होगा। जिससे इस प्रकार के प्रोजेक्टस को विश्वविद्यालय मे लाने के प्रयत्नो को बढावा मिल सकेगा।

निर्णय – आई.सी.ए.आर द्वारा जारी "रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन पार्टनरशिप, रिसोर्स जेनरेशन ट्रेनिंग, कन्सटेन्सी, कॉन्ट्रेक्ट रिसर्व/कॉन्ट्रेक्ट सर्विसेज एण्ड इन्सेटिव एण्ड रिवार्ड सिस्टम" के प्रावधानो को विश्वविद्यालय मे लागू करने का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा– 01/एफ – पी.जी. रेग्यूलेशन–2011 का अनुमोदन

निर्णय – "पोस्ट ग्रेज्यूएट स्टेडी रेग्यूलेशन वर्ष 2011" का अनुमोदन किया अध्यक्ष महोदय ने बताया कि एजेण्डा में 'प्री–' शब्द टंकण त्रुटिवश समाविष्ट हुआ है अतः इसे हटा कर पढा जायें। अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया की एजेण्डा "डी" के साथ इस रेग्यूलेशन के अनुमोदन के पश्चात अब विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के दोनो आयाम सम्पूर्ण हो गये, जिससे स्नातकोत्तर शिक्षा की गुणवत्ता मे अत्यधिक सुधार होगा, तथा अब यह राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा होगी। अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया की इन रेग्यूलेशन की प्रति सभी सदस्यो को एजेण्डा के साथ मे उपलब्ध करवा दी गई थी, फिर भी अंतिम प्रकाशन एक अलग बुकलेट मे किये जाने से पूर्व यदि आवश्यक हुआ तो भाषाकृत एवं अन्य माईनर करेक्शन को डीन पी.जी. स्तर पर समाविष्ट कर दिया जायेगा। जिसे भी सदन ने अनुमोदित किया।

एजेण्डा– 01/जी :सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत "सूचना हस्तपुस्तिका" का वोलंटरी डिसक्लोजर क्लॉज के अनुसार अनुमोदन

निर्णय – सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) के अन्तर्गत सूचना हस्तपुस्तिका का प्रकाशन अनिवार्य है। अध्यक्ष महोदय ने बताया की इस विश्वविद्यालय मे इस हस्तपुस्तिका को दिनांक 2

5

फरवरी, 2011 से जारी कर दिया था, क्योंकि इस बाबत अनेक प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम में प्राप्त हो रहे थे। इस हस्तपुस्तिका को सदन में सूचना एवं औपचारिक अनुमोदनार्थ रखा गया है। अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया की इस हस्तपुस्तिका को विश्वविद्यालय की वेब–साईट पर भी डाल दिया गया है,जो जन सामान्य के लिए उपलब्ध है। इस हस्तपुस्तिका को तैयार करने मे कुल सचिव एवं उनके दल की मेहनत को सदन ने सराहा,साथ ही इसे अनुमोदित भी किया।

एजेण्डा– **01/एच : वर्ष 2011–12 में किये गये बजट प्रावधानों का अनुमोदन**

निर्णय – वर्ष 2011 मे किये गये बजट प्रावधानो की सूची एवं इस बाबत जारी आदेशो को सदन पटल पर रखा गया। अध्यक्ष महोदय ने बताया की इस सूची मे यथा सम्भव वित्तिय वर्ष 2010–11 के सभी बजट प्रावधानो को शामिल किया गया है, फिर भी विश्वविद्यालय को प्राप्त होने वाले बजट वित्तिय वर्ष के अंत तक प्राप्त होते रहने के कारण से अंतिम समय में जारी कुछ आदेश/सशंोधन संकलन में छूट सकते है । चूंकि इस विश्वविद्यालय का गठन वित्तीय वर्ष 2010–11 के प्रारम्भ होने के पश्चात हुआ है, अतः परम्परानुसार विश्वविद्यालय के 2010–11 के बजट पर औपचारिक पूर्व अनुमोदन वित्तिय वर्ष के शुरू में नहीं हो सकता था। अतः अब प्रावधानों को अनुमोदनार्थ बोर्ड में प्रस्तुत किया गया है। सदन ने वर्ष 2010–11 मे किये गये सभी बजट प्रावधानो का औपचारिक अनुमोदन किया।

एजेण्डा– **01/आई : प्री–पी.जी. टेस्ट इस विश्वविद्यालय द्वारा करवाये जाने के निर्णय का अनुमोदन**

निर्णय – प्री पी.जी टेस्ट को इस विश्वविद्यालय द्वारा करवाये जाने का सदन ने अनुमोदन किया। अध्यक्ष महोदय ने बताया की पूर्व में यह टेस्ट महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा करवाया जाता रहा है। इस वर्ष उन्होने इस विश्वविद्यालय से सम्बन्धित संकाय को अपने विज्ञापन में शामिल नहीं किया। अतः अब यह उचित होगा की इस विश्वविद्यालय के संकायो का प्री पी.जी टेस्ट इस विश्वविद्यालय द्वारा ही करवाया जाये।

एजेण्डा— 01/जे : आर.पी.वी.टी. परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा करवाये जाने का अनुमोदन

निर्णय — आर.पी.वी.टी परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा करवाये जाने के निर्णय का सदन द्वारा अनुमोदन किया गया। पूर्व में यह टेस्ट प्री— मेडीकल टेस्ट के साथ में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा करवाया जाता रहा है, जिसे इस वर्ष के प्री—मेडिकल टेंस्ट के साथ शामिल नही किया गया हैं। अतः इसे यह विश्वविद्यालय अब से स्वयं करवायेगा।

एजेण्डा— 01/के : विभिन्न परियोजनाओं के मुख्य अन्वेषकों (पी.आई.) को डी.डी.ओ. पावर्स प्रदान करने का अनुमोदन

अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय अनेक नई परियोजनायें स्वीकृत करवाने हेतु प्रयासरत है तथा इस बाबत भी सचेत है कि परियोजानाओ का प्रबधंन सुचारू एवं सुगम तरीके से हो सके ताकि विभिन्न एजेन्सी को युटिलाईजेशन सर्टीफिकेट समय पर प्रस्तुत किया जा सके। उक्त प्रावधान होने से परियोजना के संचालन मे मुख्य अन्वेषकों को अधिक सुविधा होगी और बजट का समुचित उपयोग समय पर हो सकेगा। कुल सचिव महोदय ने सदन को यह भी अवगत कराया की इस बाबत आवश्यकतानुसार सभी अन्वेषकों के लिए वित्तीय नियमों आदि का प्रशिक्षण सत्र भी विश्वविद्यालय के अधिकारियों यथा कुलसचिव वित्त नियंत्रक आदि द्वारा समय समय पर आयोजित करवाने की योजना है।

निर्णय — विश्वविद्यालय मे संचालित विभिन्न परियोजनाओं, स्कीमों एवं अनुसंधान कार्यक्रमों के मुख्य अन्वेषकों (पी. आई) को डी.डी.ओ पॉवर्स देने का अनुमोदन सदन द्वारा किया गया।

एजेण्डा— 01/एल : कुलपति एवं विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षकों, वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों को विदेश यात्रा हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन

निर्णय — कुलपति के अलावा अन्य सभी को विदेश यात्रा हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी कुलपति होगें। कुलपति अन्य यात्राओं की तरह विदेश यात्रा हेतु भी कुलाधिपति महोदय से यात्रा कार्यक्रम अनुमोदित करवायेगें। विदेश यात्राओं के लिए आवश्यक अन्य औपचारिकताओं के प्रयोजनार्थ कुलपति के लिए सक्षम प्राधिकारी बोर्ड ऑफ मैनेजमेन्ट होगा। परंतु यदि कुलपति के विदेश यात्रा से पहले बोर्ड ऑफ मैनेजमेन्ट की बैठक आहूत नही की जा सकती हो तो कुलपति के अनुमोदन के पश्चात् कुलसचिव, बोर्ड ऑफ मैनेजमेन्ट के "सदस्य सचिव" होने के नाते सक्षम

प्राधिकारी के तौर पर स्वीकृति जारी कर सकेगें, ताकि वीजा आदि में समस्या न हों। ऐसी स्वीकृति को तुरन्त पश्चात होने वाली बोर्ड ऑफ मैनेजमेन्ट की बैठक में अनुमोदनार्थ रखा जा सकेगा। विश्वविद्यालय के अधिनियम तथा आर.एस.आर नियमों के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं होने के कारण कुलपति एवं विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों को विदेश यात्रा हेतु राज्य सरकार के किसी भी विभाग से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नही होगी।

एजेण्डा– 01/एम : अन्य प्रस्ताव (अध्यक्ष की अनुमति से) इस एजेण्डा के अन्तर्गत सभी प्रस्तावो की प्रति सदस्यों को बैठक के समय उपलब्ध करवा दी गई थी।

एजेण्डा 01/एम(1): **To initiate short term research project on immediate research/developmental need of the state from its own resources.**

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि राज्यहित मे अनेकों बार यह आवश्यक होता है कि पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान के क्षैत्रों में कुछ समस्याओ के निराकरण हेतु लघु अवधि अनुसंधान अथवा विकास परियोजनायें स्वीकृत की जाये,ताकि त्वरित गति से राज्य के इस क्षैत्र मे काम करने वाले विभागो को तकनिकी एवं वैज्ञानिक सलाह तद्नुसार दी जा सके । इस प्रकार के लघु अवधि अनुसंधानो का सीधा लाभ पशु पालकों को प्राप्त हो सकेगा तथा विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध वैज्ञानिक एवं अन्य आधारभूत संसाधनों का भी अधिकाधिक उपयोग हो सकेगा।

निर्णय– विश्वविद्यालय द्वारा स्वंय के संसाधनों से लघु अवधि अनुसंधान परियोजनायें स्वीकृत करने के प्रस्ताव को सदन ने अनुमोदित किया।

एजेण्डा 01/एम (2): **Posting of appropriate person only in ICAR projects. If appropriate persons is not available, it can be contractually hired till the time it is filled.**

निर्णय – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत परियोजनाओ के अन्तर्गत स्वीकृत पदो के अनुरूप ही व्यक्तियों को लगाने के प्रस्ताव को सदन ने अनुमोदन किया। साथ ही सदन द्वारा यह भी विचार व्यक्त किया गया की रिक्त पदो को शीघ्रतिशीघ्र भरने के प्रयत्न किये जाये एवं तब तक परियोजनाओं को सुचारू रूप

से चलाने हेतु संविदा पर मानव संशाधन उपलब्ध करवाये जायें।

एजेण्डा 01/एम (3): **Availing bank loan facility for such purposes which are essential to be taken up immediately and where units can repay from their own resources, particularly in case of vehicles etc.**

अध्यक्ष महोदय ने यह बताया कि विद्यार्थियों से सम्बन्धित गतिविधियो तथा विभिन्न क्षैत्रों में की जाने वाली फील्ड गतिविधियों के लिए वाहनो,एम्बुलेंस,प्रदर्शनी वाहन एवं अन्य उपकरणों एवं संसाधनों की तुरन्त उपलब्धता की आवश्यकता होती है। इस प्रावधान से ऐसी आवश्यकताओ की शीघ्र पूर्ति हो सकेगी जिससे विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य एवं विभिन्न क्षैत्रों में विश्वविद्यालय की सेवाओं को अधिक गुणवत्ता से किया जा सकेगा।

निर्णय – विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 3 (4) मे दिये गये प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंकों से लोन ले सकेगा जिसे विश्वविद्यालय या इसकी ईकाइयाँ स्वयं की अर्जित आय में से चुकाने मे सक्षम हो। इस प्रस्ताव का सदन द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा 01/एम(4) : **BOM meeting business rules**

निर्णय– प्रबंध बोर्ड की बैठक मे बिजनस रूल्स को सदन द्वारा अनुमोदित किया गया। जिस हेतु विस्तृत आदेश कुल सचिव द्वारा कालांतर मे जारी कर दिया जायेगा। सदन ने यह भी पारित किया की यह बिजनस रूल्स इसी बैठक में तुंरत प्रभाव से लागू माने जायें जो कि निम्नानुसार है –

- Quorum: 1/3 of the serving members.
- Minutes to be drawn and sent by speed post/email. Any observation shall be considered if put up before the Chairman within 15 days of date of dispatch.
- Supplementary agenda can be put up with the permission of Chair.
- Any resolution can be passed if >50% of the members agree to it. Normally the Chairman should not vote. But, if case of equal number for and against, vote of Chairman shall be deciding one.

- As per the Act of this university, members of Board shall be paid TA and Daily Allowance by the university with the following conditions:
  - TA to BOM members shall be payable to the extent of actual fare paid by Air/Rail/Bus/Taxi. Daily Allowance of the members shall be Rs. 1000.00 per day from the day of proceeding from their place of stay till they reach back the destination. One calendar day shall be counted as one day provided period is 8 hours or more. For 4 hrs or more and less than 8 hrs, half day shall be counted for the purpose calculating Daily Allowance.
  - TA and Daily Allowance shall be payable at above rates to only members belonging to the category of Class-II. Other members except (n) or (o).
  - Members belonging to Class-I and Class: (n) and (o) can claim TA and Daily Allowance from the university with a certificate that they have not claimed it from their source of salary. However, in such cases, the rates applicable to university employees shall only be applicable to employees of university or State Government, for ICAR employees, rates of ICAR shall be applicable and for GOI employees, rates of GOI shall be applicable.

**एजेण्डा 01/एम (5) : विश्वविद्यालय के सभी कार्मिकों द्वारा अचल संपत्ति का स्वैच्छिक प्रकटीकरण**

अध्यक्ष महोदय ने बताया की इससे यह विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय होकर पारर्दिशता का एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

निर्णय – सभी सदस्यो ने इस प्रस्ताव की सराहना की। विश्वविद्यालय के सभी कार्मिको द्वारा अचल सम्पति का स्वैच्छिक प्रकटीकरण निम्न प्रारूप में करने का अनुमोदन किया गया–

## प्रारूप – अचल संपत्ति का स्वैच्छिक प्रकटीकरण

| क्रमांक | अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम | संपति अर्जन का वर्ष | अर्जन हेतु धन का स्रोत | | | | गृह तथा न्य भवन | भूमि का माप | स्थान का पता, मय जिले, तहसील तथा ग्राम का नाम जहां संपति स्थित हो | स्वनिर्धारित वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका कर्मचारी से क्या संबंध है यथा पत्नी, संतान, एचयूएफ, फर्म, भागीदारी, अंशधारी | संपति से औसत वार्षिक आय यदि कोई हो तो | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्वयं सचित | लोन | विरासत | अन्य | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**एजेण्डा 01 / एम(6) :** राज्य में संचालित मतस्य विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर, तथा डेयरी साईंस एण्ड फूड टेक्नोलॉजी कालेज, उदयपुर को इस विश्वविद्यालय के अधिनियम की परिभाषा के अनुसार इस विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के रूप में स्थानान्तरित करने बाबत प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाय।

महामहिम कुलाधिपति द्वारा मनोनित प्रो0 के.एम.एल. पाठक, उप महानिदेशक (पशु विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से यह प्रस्ताव रखा कि राज्य में संचालित मतस्य विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर, तथा डेयरी साईंस एण्ड फूड टेक्नोलॉजी कालेज, उदयपुर को इस विश्वविद्यालय के अधिनियम की परिभाषा के अनुसार इस विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के रूप में स्थानान्तरित करने बाबत प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाये।

निर्णय – इस प्रस्ताव का बोर्ड के सभी सदस्यो द्वारा अनुमोदन किया गया।

**श्री मनोज शर्मा, निदेशक मत्स्य विभाग** ने निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :–

1. घटती ऊंटों की संख्या पर उन्होने कहा कि ऊंटों की घटती संख्या को रोका जाना आवश्यक है एवं इस हेतु उनकी आर्थिक उपादेयता बढानी चाहिये।
2. राजस्थान राज्य में पशुओं की सर्वोत्तम नस्लें है जो विषम परिस्थिति में भी अपने उत्पादन की श्रेष्ठता बरकरार रखते है। इन नस्लों की उन्नयन एवं संरक्षण की आवश्यकता है।
3. विश्वविद्यालय को अपने वैज्ञानिकों एवं फैक्लटी को विदेशों के संस्थानों के भ्रमण एवं वहां आयोजित कांफ्रेंस इत्यादि में लगातार जाते रहने की आवश्यकता है। इस हेतु विदेश यात्रा ग्रांट तथा परमिशन को सूचारू करने की आवश्यकता है।
4. विश्वविद्यालय को यह प्रयत्न करना चाहिये कि रिसर्च एवं डवलपमेन्ट हेतु विश्वविद्यालय के कुल बजट का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा होना चाहिये तभी विश्वविद्यालय नये आयाम स्थापित कर सकेगा।
5. उदयपुर स्थित मतस्य महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय के अधीन आना चाहिये।

महामहिम कुलाधिपति द्वारा नामित डॉ. के.एम.एल. पाठक, **उपमहानिदेशक**, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कहा कि परिषद् द्वारा नये विश्वविद्यालय को अधिकाधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी अच्छे प्रावधानों की आशा है। विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में किये गये नवाचारों की भूरीभूरी प्रशंसा करते हुये उन्होने कहा कि कुलपति ने विश्वविद्यालय को न सिर्फ एक नई दिशा दी है परन्तु एक प्रगतिशील नेतृत्व भी प्रदान किया है। उन्होने वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों तथा प्शुपालकों के क्षमता संवर्द्धन पर भी जोर दिया। एन.ए.आई.पी. परियोजना के अंतर्गत इस हेतु रखे गये प्रावधानों का जिक्र करते हुये उन्होने कहा कि भविष्य में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अधिक से अधिक संख्या में फैकल्टी मेम्बर को इस हेतु विदेशों में भेजेंगे।

**श्री विजय लोयल राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य** ने पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों तथा निजी क्षेत्र के वेटरनरी महाविद्यालयों में प्रशिक्षण पशु फार्म की आवश्यकता पर जोर दिया।

**डॉ. राजेश शर्मा , निदेशक, पशुपालन विभाग** ने निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :–

1. राष्ट्रीय डेयरी परियोजना से ऊंटनी के दूध की प्रोसेसिंग को शामिल किया जाना।
2. जैविक डेयरी फार्म स्थापित करना ।
3. इन सर्विस पशु चिकित्सकों को स्नात्तकोत्तर शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करना।
4. मोबाईल पर पशुपालकों को जानकारी उपलब्ध करवाना या कॉल सेन्टर खोलना

**डॉ. एन.वी. पाटिल , निदेशक, राष्ट्रीय ऊष्ट्र अनसुंधान केन्द्र,** ने निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :–

1. चारा एवं चारागाह विकास ।
2. किसान कॉल सेन्टर की तर्ज पर पशुपालन कॉल सेन्टर स्थापित करना ।
3. ऊंटों के लिये विशेष ब्रिडिंग प्लान बनाना। उन्होने यह भी कहा कि राष्ट्रीय ऊष्ट्र अनुसंधान केन्द्र , विश्वविद्यालय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने को तत्पर रहेगा।

**श्रीमती कृष्णा सोलंकी** ने यह विचार व्यक्त किया कि राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों हेतु विश्वविद्यालय पूरे राज्य में किसी प्रकार की सेवायें या कार्य योजना बनाये तो वे लोग इसे लागू करने में तत्पर रहेंगे।

**श्री प्रभूराम पोषक** ने विचार व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर किये जाने वाले नवाचार एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी बोर्ड के सदस्यों को पहुंचाने की भी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि बोर्ड के सदस्य राज्य सरकार तक विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही प्रगति को पहुंचाया जा सके।

अंत में सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के बाद बैठक समाप्ति की गई।

कार्यवाही विवरण माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा से जारी किये जा रहे हैं।

कुलसचिव

## राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

क्रमांकः राजुवास / मीटिंग / बोम–1 / 2011 / 298 दिनांक 25/4/2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है –

1 प्रमुख शासन सचिव, गवर्नर एवं कुलाधिपति, राजभवन, जयपुर।
2 सभी सम्माननीय सदस्य, प्रबंध मण्डल, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।

.............................................................................................................

3 वित्त नियंत्रक, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
4 निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर, को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

कुलसचिव

परिशिष्ट– "अ"

प्रबंध बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 8 अप्रेल, 2011 में उपस्थित सदस्यों की सूचि

| S. No. | Name of Member with Designation | |
|---|---|---|
| 1. | Prof. A.K. Gahlot<br>Vice-Chancellor<br>RAJUVAS, Bikaner | - In Chair |
| 2. | Sh. Prabhu Ram Poshak | |
| 3. | Sh. Vijay Singh Loyal | |
| 4. | Smt. Krishna Solanki | |
| 5. | Dr. K.M.L. Pathak<br>Deputy Director General (Animal Science)<br>ICAR, New Delhi | |
| 6. | Dr. Rajesh Sharma<br>Director of Animal Husbandry,<br>Government of Rajasthan, Jaipur | |
| 7. | Dr. Manoj Kumar Sharma<br>Director of Fisheries<br>Government of Rajasthan, Jaipur | |
| 8. | Dr. N.V. Patil<br>Director<br>National Research Centre on Camel<br>Jorbeer, Bikaner | |
| 9. | Dr. Surendra Nath Maurya | |
| 10. | Dr. Sutej Bhan Singh Yadav<br>Dean, CVAS, Bikaner | |
| 11. | Dr. Ram Krishna Tanwar<br>Director of Clinics<br>RAJUVAS, Bikaner | |
| 12. | Sh. L.N. Gahlot<br>Comptroller, RAJUVAS, Bikaner | - Invitee |
| 13. | Sh. B.S. Rathore<br>T.O., Bikaner<br>Representing ACS (F) | |
| 14. | Sh. S.S. Pawar<br>Registrar<br>RAJUVAS, Bikaner | - Member Secretary |